



निर्माण सिविल सर्विसेज मासिक पत्रिका

मार्च, 2019 (अंक: 8)

मुख्य संपादक :

कमलदेव सिंह

संपादक :

रजनीश कुमार

इम्तियाज खान

संपादकीय सलाहकार :

स्वदीप कुमार

सहयोगी :

मनीष प्रियदर्शी, तरुनेन्द्र कुँवर, सुब्रत पाण्डेय,
शिल्पा देवी एवं सनी वर्मा

ग्राफिक्स एंड डिजाइन :

संतोष कुमार झा, पंकज तिवारी, सुनील कुमार
एवं संतोष झा

© प्रकाशक

HEAD OFFICE

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi
Vihar Bandh) Delhi-110009

ENQUIRY OFFICE

631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar,
Delhi-09

Website: www.nirmanias.com

E-mail: nirmanias07@gmail.com

Ph.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

विषय सूची

इस अंक में...

प्रश्नपत्र - (1)

| | |
|--|----|
| सतत विकास और समय परिवर्तन | 1 |
| 10 प्रतिशत आरक्षण | 3 |
| वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 | 4 |
| वर्ष 2018 में जेमिनिड उल्का वर्षा | 5 |
| ‘हंपी’ | 5 |
| कुंभ | 6 |
| इंडिया स्टील 2019 | 7 |
| पवित्र कैलास बनेगा राष्ट्रीय धरोहर | 8 |
| ‘यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा’ | 8 |
| नेशनल वॉर मेमोरियल | 9 |
| शाहपुरकंडी बांध | 10 |
| तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2018 | 10 |
| 21 राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र इको सेंसिटिव घोषित | 11 |
| जल संरक्षण शुल्क | 12 |
| ‘कड़कनाथ’ | 12 |
| पंज तीरथ | 13 |
| बाल विज्ञान कांग्रेस | 14 |
| एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर लागू की सुरक्षा व्यवस्था | 14 |
| कुष्ठ तलाक का आधार नहीं | 15 |
| ओडीएफ भारत लक्ष्य प्राप्ति की ओर: रिपोर्ट | 16 |
| वेब-वंडर वुमन अभियान | 17 |
| ‘खेलो इंडिया युवा खेलों’ का दूसरा संस्करण पुणे में शुरू | 17 |
| ‘स्वदेश दर्शन’ | 17 |
| चार और परियोजनाओं को मंजूरी | 18 |
| 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी | 19 |
| राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 | 19 |
| उरुका उत्सव | 20 |
| मौसम की ज्यादा सटीक जानकारी | 21 |
| ASER रिपोर्ट 2018 | 21 |
| विश्व संगीत महोत्सव | 22 |
| “सांझी-मुझ में कलाकार” | 22 |
| वर्ल्ड रैंकिंग: यूनिवर्सिटी | 23 |
| गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा | 23 |
| नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक | 24 |
| भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय | 24 |
| शहरी समृद्धि उत्सव | 25 |
| डीएमएफ/पीएमकेकेकेवाई पर प्रथम कार्यशाला | 26 |

प्रश्नपत्र - (2)

| | |
|---|----|
| वेनेजुएला संकट | 27 |
| अमेरिकी शटडाउन | 28 |
| सैस ‘पब्लिक अकाउंट’ में नहीं : कैंग | 30 |
| चाबहार का नियंत्रण भारत को | 30 |
| केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट | 31 |
| जस्टिस खन्ना और जस्टिस माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश | 34 |

| | | | |
|---|----|---|-----|
| गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक दर्जा | 34 | ई-नाम | 63 |
| 15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस | 36 | सौर ऊर्जा/जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केंद्र | 64 |
| आधार कार्ड से नेपाल-भूटान की यात्रा को मंजूरी | 37 | कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस उत्पादन पर रिपोर्ट | 64 |
| भारत - मॉरीशस वार्ता | 37 | माइक्रोसैट-आर और कलामसैट | 65 |
| अमेरिका: सेना में ट्रांसजेंडर पर रोक | 38 | पुनर्पूजीकरण से निवेश में मजबूती | 66 |
| जनजातीय भारत आदि महोत्सव | 38 | निर्यातकों को 600 करोड़ की ब्याज सब्सिडी | 67 |
| संविधान की धारा -280 में संशोधन | 39 | यू. के. सिन्हा समिति | 68 |
| आईसीएटी/केआईएपीआई के मध्य समझौता | 39 | चांगी-4 | 68 |
| 'अति उन्नत' युद्धपोत | 40 | भारतीय चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग | 69 |
| भारत, मोरक्को के मध्य द्विपक्षीय सहयोग | 40 | अनाज गुणवत्ता घोटाला | 70 |
| लोकसभा के 45 सदस्य निर्लंबित | 41 | S-400 | 71 |
| लोकपाल | 41 | भोपाल मॉडल | 74 |
| चीन ने बनाया महाबम | 42 | भारतीय सेना में 'एआई' तकनीक | 75 |
| अपंगता को दूर करने की तकनीक | 42 | बहु-ब्रांड खुदरा में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं | 76 |
| असम विधानसभा में आरक्षण | 43 | आयात में संरक्षण हेतु प्रभावी कदम | 79 |
| वेबकास्ट | 43 | समीक्षा : दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 79 |
| डायबिटीज की जाँच | 45 | नयी पेटेंट दवाओं को पांच साल की छूट | 81 |
| नॉर्वे के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा | 46 | बिजली टैरिफ नीति | 82 |
| ग्रीन कार्ड के सम्बन्ध में भारतीय दूसरे स्थान पर | 47 | पाबुक तूफान | 82 |
| नवोदय विद्यालयों में अतिरिक्त सीटों की मंजूरी | 47 | एचएएल बनाएगा हथियारबंद एलसीए तेजस | 83 |
| रेलवे के पुराने पुल दुर्घटना का कारण | 48 | मोरेह में एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन | 83 |
| ब्रेकिंग | 48 | मेघालय सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना | 83 |
| रायसीना संवाद | 49 | FDP बिल | 84 |
| समुद्री समझौता | 49 | वैश्विक मंदी की आहट | 84 |
| भारत और फ्रांस के मध्य समझौता | 50 | डार्क वेब | 85 |
| H1B वीजा नियम | 50 | जीएसटी में सुधार हेतु प्रस्ताव | 86 |
| 'बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय विमर्श' | 50 | केवाईसी का विस्तार | 87 |
| हुनर हाट | 51 | पेट्रोल पंपों पर मिलेगा फास्टेग | 88 |
| गुजरात में आरक्षण | 52 | लेजर से सीमा सुरक्षा | 89 |
| वुमनिया ऑन (जीईएम) | 52 | 2030 तक वैश्विक विमान यात्रा में 100 प्रतिशत वृद्धि | 89 |
| विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ेंगी | 52 | भारतीय नस्लों के पशुओं में सुधार हेतु तकनीक | 90 |
| परिवार नियोजन नियम पर रोक | 53 | DNA तकनीक बिल लोकसभा से पारित | 91 |
| भारत और मालदीव के बीच समझौता | 53 | बैंकिंग इकाइयों के रूप में सहकारिता मॉडल | 91 |
| भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता | 53 | सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत | 92 |
| स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी | 54 | विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार | 92 |
| स्कूलों में विज्ञान, गणित पढ़ाने में सहयोग करेंगे आईआईटी, आईआईएसईआर | 54 | स्वर्ण मौद्रिकरण योजना | 92 |
| चीन का महाशक्ति बनने का प्रयास | 54 | सीवर लाइन की सफाई बैक्टीरिया से | 93 |
| भारत जापान के बीच ऋण समझौता | 55 | छोटे उद्यमों को जीएसटी सीमा में छूट | 93 |
| भारत/उज्बेकिस्तान के मध्य यूरेनियम अनुबंध | 55 | प्रदूषण पर उच्च-स्तरीय समिति | 94 |
| | | औद्योगिक उत्पादन में गिरावट | 95 |
| | | भारत-चीन सीमा पर 44 सड़कें बनवाएगी सरकार-रिपोर्ट | 95 |
| | | ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया | 96 |
| | | नौवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन | 96 |
| | | भारत में रोबोट संभालेगा ट्रैफिक | 97 |
| | | नया DNA टूल | 97 |
| | | 'डीडी साइंस' और 'इंडिया साइंस' की शुरुआत | 98 |
| | | चांद पर पहला पौधा | 99 |
| | | रचनात्मक सामानों के निर्यात में भारत विश्व का अग्रणी देश | 99 |
| | | 'अपने बजट को जानिए' पहल शुरू | 100 |

| प्रश्नपत्र - (3) | |
|---|----|
| भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड | 56 |
| बाबा कल्याणी समिति | 57 |
| फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट | 58 |
| मुद्रा विनिमय प्रबंध प्रारूप | 59 |
| वस्तु एवं सेवा कर अपीलिय अधिकरण / GSAT-7A | 60 |
| 'गोल्डेन ब्लाड' | 61 |
| नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) | 61 |
| माइक्रोसॉफ्ट एआई-सेंसर | 62 |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| भारत जलवायु परिवर्तन पर कार्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में एक अग्रणी देश | 101 | इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर | 129 |
| एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना | 101 | इंडोनेशिया में सुनामी | 130 |
| भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूजीकरण को स्वीकृति 'सक्षम 2019' | 102 | अंडमान द्वीपों के नाम परिवर्तन | 130 |
| पेट्रोल पंप से निकलने वाली खतरनाक गैस | 103 | वर्ष 2023 : अंतर्राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार दिवस | 130 |
| सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी | 103 | आर्कटिक रेंडीयर की संख्या में गिरावट | 131 |
| प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना | 104 | भारत में प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन | 131 |
| 'उन्नति' इसरो का क्षमता निर्माण कार्यक्रम | 104 | टनेलबॉट | 132 |
| टाइटन के उत्तरी हिस्से में मिथेन की बारिश | 104 | कोप-24 कैटोवाइस | 133 |
| राष्ट्रीय कारोबार रजिस्टर | 105 | वॉयजर-2 | 133 |
| भारत की पहली लीथियम आयन गीगा फैक्ट्री | 105 | '2018 वी जी 18' | 133 |
| भारतीय नौसेना की क्षमता वृद्धि | 106 | जीएसएलवी-एफ 11 से जीसैट-7ए का प्रक्षेपण | 134 |
| मिलिट्री पुलिस में होगी 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती | 106 | सुदर्शन पटनायक | 134 |
| भारत के साथ मिसाइल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका | 106 | इंडियन साइंस कांग्रेस | 134 |
| रेलवे का संचालन निजी हाथों में | 107 | अरुणिमा सिन्हा | 136 |
| ट्रेन 18 का निर्यात | 107 | 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2019' | 137 |
| 'स्टार्ट-अप इंडिया' योजना पर ग्रहण | 108 | 'भारतीय महिला जैविक उत्सव' | 137 |
| इको निवास संहिता 2018 | 109 | पहुंच | 137 |
| बिग बैंग के समय के अवशेष की खोज | 110 | एडीएम क्रिस्टोफ प्राजुक का भारत दौरा | 138 |
| कृषि निर्यात नीति 2018 | 111 | आईटी कानून की धारा 66ए | 138 |
| प्रश्नपत्र - (4) | | देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज | 138 |
| भावनात्मक बुद्धि/निर्णयन में इसकी भूमिका | 112 | 100वां विद्युत इंजन 'शतक' | 139 |
| केस स्टडी | 113 | शेख हसीना | 139 |
| समसामयिक मुद्दों से संबंधित लेख | | 76वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स | 139 |
| प्रारंभिक शिक्षा नीति में बदलाव | 115 | आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार | 140 |
| NRC तथा संकट | 119 | विश्व बैंक अध्यक्ष का इस्तीफा | 140 |
| प्रारम्भिक परीक्षा विशेष : 2019 | | गीता गोपीनाथ | 141 |
| समसामयिक घटनाक्रम | 123 | नंदन नीलेकणि समिति | 141 |
| एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019 | 123 | तिब्बत सीमा पर चीन की तोपें | 142 |
| अंतरिक्ष में जानवर नहीं रोबोट भेजेगा इसरो | 123 | सड़क, सीवेज परियोजना | 142 |
| भारत में सीदी समुदाय | 124 | अप्सरा रेड्डी | 142 |
| विश्व आर्थिक मंच | 124 | कुमार राजेश चन्द्र | 143 |
| नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट | 124 | एलिजा किट्स | 143 |
| मणिपुर में पक्षी अभ्यारण्य | 125 | ब्रांड सेलेब्रिटी की सूची | 143 |
| 9 अमीरों के पास आधी आबादी जितनी संपत्ति | 126 | निकोलस मद्रो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने | 144 |
| नेपाल में सिर्फ 100 रुपये का भारतीय नोट | 126 | इंडिया एक्सपोजे मार्ट | 144 |
| भारत पर्व | 126 | कांगो में राष्ट्रपति चुनाव | 144 |
| बिहार की 2017-18 में सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ | 127 | प्रदूषण पर उच्च-स्तरीय समिति | 144 |
| 2040 तक 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा | 127 | संसद रत्न अवार्ड | 145 |
| भारत और जापान सहयोग | 127 | विनेश फोगाट | 145 |
| भारत और कुवैत के मध्य समझौता | 127 | राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार | 145 |
| भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019 | 128 | शी बॉक्स | 146 |
| आईएन कुहासा | 128 | वन स्टॉप सेंटर | 146 |
| 70वां गणतंत्र दिवस | 129 | शाउट | 147 |
| | | 25 राज्यों के सौ फीसदी घरों का विद्युतीकरण | 147 |
| | | जीसैट-11 का प्रक्षेपण | 147 |
| | | उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 | 147 |
| | | नीति आयोग समीक्षा 2018 | 148 |
| | | ज्ञान एवं नवाचार केंद्र | 155 |
| | | उद्यम संबंधी पारितंत्र को प्रोत्साहन | 155 |

प्रश्नपत्र-

1

सतत विकास और समय परिवर्तन

संदर्भ :

- सन् 1760 और 1840 के बीच पहली औद्योगिक क्रांति ने लौह और इस्पात के उपयोग और मानव श्रम को आसान बनाने का काम किया।
- 1870 और 1914 के बीच दूसरी औद्योगिक क्रांति पेट्रोलियम, कोयले और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत के रूप में जानी जाती है।
- इसके प्रभाव 1900 के दशक में प्रकट हुए थे। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पर पहला असंतोष दस्तावेज 1962 में राशेल कार्सन की 'साइलेंट स्प्रिंग' के रूप में सामने आई थी।
- यह बगों को मारने की नीयत से जीवमंडल में डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन (डीडीटी) के प्रवेश करने के बारे में था। इसने पक्षियों और मछलियों के माध्यम से खाद्य शृंखला पर हमला किया जो अंततः मानव तक पहुँच गया।
- साइलेंट स्प्रिंग एक शुरुआत थी। इसने दुनिया भर में पर्यावरणविद् के बारे में विचारों को जन्म दिया। 1970 में संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (यूएसईपीए) की स्थापना हुई।
- डीडीटी के कैसरजनक होने की संभावना के आधार पर 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- यह पता चला कि यह गंजा ईगल के लिपिड में जमा होकर उसकी प्रजनन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। राष्ट्रपति केनेडी ने राशेल कार्सन के दावे की जांच का जिम्मा विज्ञान सलाहकार समिति को दिया।
- बायोटा पर कीटनाशकों के प्रभावों का अध्ययन के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया गया।
- पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो चिंताएं सामने आई उससे अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में नए कानून और नई पहलें आरंभ की गईं।
- वाइल्डरनेस प्रोटेक्शन एक्ट (1964), नेशनल वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स एक्ट (1965), संकटापन्न प्रजाति संरक्षण अधिनियम (1966) और पर्यावरण रक्षा निधि (1967) संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी पहलों के उदाहरण हैं।

सततता की अवधारणा का विकास

- संयुक्त राष्ट्र ने 1968 में पेरिस में जैवमंडल के उचित उपयोग और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- जो कि वैश्विक जीवमंडल की सुरक्षा के लिए समर्पित है। पारिस्थितिक रूप से सतत विकास की अवधारणा पर प्रारंभिक चर्चाएं प्राकृतिक रूप से सतत विकास की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उनके संरक्षण पर केन्द्रित थी।
- पहला पृथ्वी दिवस 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया। 'प्रदूषक को भुगतान करना पड़ता है' सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश हिस्सों में पर्यावरण कानून का हिस्सा बन गया है। सतत विकास की यात्रा के क्रम में यह एक मील का पत्थर था।
- 1971 तक फ्रांस, स्वीडन, कनाडा और जापान समेत कई देशों में, पर्यावरण की रक्षा के लिए मंत्रालयों या एजेंसियों का निर्माण किया गया।
- गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इन्होंने वाचडॉग के रूप में कार्य किया, सरकारी मशीनरी को कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित किया जहाँ मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा था वहाँ निगरानी की भूमिका अदा कर सरकार को कार्यवाही के लिए प्रेरित किया और इस तरह संरक्षण को बढ़ावा दिया।
- वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की उत्पत्ति हुई जिसका उद्देश्य सततता को बढ़ावा देना था।
- 1972 में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 'विकास की सीमाएं' रिपोर्ट प्रकाशित की।
- इसमें पाया गया कि जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन, संसाधनों में कमी, औद्योगिक उत्पादन और प्रदूषण पृथ्वी पर विकास को सीमित करते हैं।
- साथ ही यह देखा गया कि पृथ्वी पर मौजूदा संसाधनों का संग्रह और विकास का जो स्तर है, उसको देखते हुए विकासात्मक गतिविधियों को वर्ष 2100 से परे जारी नहीं रखा जा सकता।

- ब्रुटलैंड की सतत विकास की क्लासिक परिभाषा 1987 में प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार मानवता में विकास को सतत करने की क्षमता निहित है। यह सुनिश्चित करते हुए कि अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरी करते हुए भावी पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं किए जाए।
- ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट, 'हमारा साझा भविष्य' के तीस वर्षों के बाद भी सतत विकास की यही परिभाषा पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है।

ग्लोबल वार्मिंग की संकल्पना

- जब 19वीं सदी के अंत में मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा हुई, तब एक मत ने तर्क दिया कि ग्लोबल वार्मिंग भी प्राकृतिक शक्ति का ही परिणाम हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी की धुरी की अस्थिर गति से वैश्विक तापमान में परिवर्तन हो सकता है।
- मोलिना और रोवेलैंड (1974) ने पहली बार बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उत्सर्जन और सीएफसी गैसों का अनियमित दर से निरंतर उपयोग ओजोन परत को गंभीर रूप से कम कर देगा।
- वर्ष 1985 में विश्व मौसम विज्ञान सोसाइटी, यूएनईपी और वैज्ञानिकों के संघ का अंतर्राष्ट्रीय परिषद की ऑस्ट्रेलिया में हुई बैठक में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के जमा होने की सूचना दी।

- फार्मन एवं अन्य (1985) ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में कमी आई है।
- 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, पृथ्वी के ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाया गया।
- ओजोन परत में क्षरण होने की दशा में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल के निम्न परत में प्रवेश कर जाएगा। यह विकिरण त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ भूमि और पानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल (आईपीसीसी) का जन्म हुआ। उनके समेकित प्रयास ने वैश्विक समुदाय को यह स्पष्ट किया कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन मानव प्रेरित थे।
- वर्ष 2007 में आईपीसीसी को पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- अपने उद्घरण में, नोबेल समिति ने कहा कि 'आईपीसीसी और गोर को (मानव) जनित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक ज्ञान संचित करने और प्रसारित करने के उनके प्रयासों तथा ऐसे परिवर्तनों को टालने के लिए उपाय बताने के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया।'

संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज

- 1990 में पहली आईपीसीसी आकलन रिपोर्ट ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती को कम करने में वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
- इसके तुरंत पश्चात् ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु वैश्विक संधि के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) की स्थापना की गई।

रियो शिखर सम्मेलन

- वर्ष 1991 के रियो शिखर सम्मेलन में, यूएनएफसीसीसी पर्यावरण और सतत विकास के मुख्य विषयों के साथ हस्ताक्षर के लिए खोला गया।
- वर्ष 1995 से, प्रत्येक वर्ष यूएनएफसीसीसी सदस्य देशों में से किसी एक देश में इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक करती है। अभी हाल में दिसंबर, 2018 में पोलैंड के केटोवाइस में इनका सम्मेलन हुआ।

सतत विकास की वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2000 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को 2015 में प्राप्त करने का अनुमान लगाया था। इनमें आठ लक्ष्य थे जिनमें से सातवां लक्ष्य पर्यावरणीय सततता था।
- वर्ष 2015 में प्रकाशित समीक्षा रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अपनी कमियों के बावजूद एमडीजी विकसित और विकासशील देशों में निर्णय लेने में सफल रहा।
- वर्ष 2016 में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निर्धारित किए गए जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरे किए जाने हैं।
- इसके 17 लक्ष्यों में से तेरहवां लक्ष्य जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। एसडीजी पर 2017 की रिपोर्ट में बताया गया कि एसडीजी प्राप्त करने में प्रगति की गति अपर्याप्त हैं।
- सितंबर, 2018 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक भूख के मुख्य कारणों में से एक है।
- भूमि का क्षरण, मरुस्थलीकरण, पानी की कमी और बढ़ते समुद्री जल स्तर जैसी चरम घटनाओं के बढ़ने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि भूख के मुद्दे से निपटने के वैश्विक प्रयासों

को जलवायु परिवर्तन पराजित कर रहा है।

- दुनिया के कई हिस्सों में, जलवायु आपदाओं ने सतत विकास के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय योजनाओं को प्रभावित किया है। संभवतः इन योजनाओं में आपदाओं के प्रबंधन के लिए भी जगह बनाने का समय आ गया है।

निष्कर्ष

- वर्ष 1962 में अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना से, सबसे हालिया संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2016 तक, मानव जाति के लिए पृथ्वी पर शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। लेकिन देर से यह महसूस किया गया है कि गरीबी, असुरक्षित आजीविका आदि जैसी मानव अनियमितताएं प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम रही हैं।
- इन प्राकृतिक घटनाओं से मानव जीवन को कितनी बाधाओं को सहन करना पड़ा है उसकी पहचान करने के लिए एक समेकित प्रयास की जरूरत है ताकि दुनिया भर के देश इन चिंताओं को दूर करने के लिए नीतिगत उपायों एवं उनके सफल क्रियान्वयन के द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का वचन दे सकें।

10 प्रतिशत आरक्षण

चर्चा में क्यों?

- सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केन्द्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी।

मुख्य तथ्य :

- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित 50 फीसद के कोटे को छोड़ें बिना सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का फैसला लिया है।
- इसका लाभ सवर्ण हिंदुओं के साथ-साथ सभी अनारक्षित जाति के गरीबों को मिलेगा।
- इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा ओबीसी के समान ही रखी जाएगी।
- इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
- संविधान में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है।

इन्हें मिलेगा लाभ

- ऐसे परिवार, जिसकी सालाना आय आठ लाख या उससे कम होगी।
- जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
- ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का प्लॉट है।
- अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है।
- गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है।
- जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी तय कर रखा है।
- इन्दिरा साहनी मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों के फैसले के बाद आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी कर दिया गया था, जिस पर अब बदलाव होना मुश्किल है।
- सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएच कानिया की अध्यक्षता में नौ जजों की बेंच ने 1992 में आरक्षण के सभी पहलुओं पर विस्तार से फैसला दिया था।
- सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मद्देनजर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। सरकारी नौकरियों में मेरिट नजरअंदाज नहीं हो, इसलिए 50 फीसदी की सीमा भी तय कर दी गई थी।
- राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में जाट और मराठों को आरक्षण का मामला न्यायिक हस्तक्षेप की वजह से अमल में नहीं आ सका।
- गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए भारत सरकार का फैसला भी आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में अटक सकता है।

संविधान में बदलाव

- यह आरक्षण आर्थिक आधार पर लाया गया जिसकी अभी तक संविधान में व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा।
- इसके लिए अनुच्छेद 15 और 16 में एक-एक उपबंध जोड़ा गया और सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

आधार

- सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला सिन्हा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया है।

वेनेजुएला संकट

चर्चा में क्यों?

- वेनेजुएला वह लैटिन अमेरिकी देश, जिसने तेल के बूते अगाध संपन्नता देखी, लेकिन आज यहाँ लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है।
- वेनेजुएला का संकट इसलिए अधिक पेचीदा है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक घमासान, कमजोर अर्थव्यवस्था और सेना का सियासी इस्तेमाल सब एक-दूसरे में गुंथे हुए हैं।
- रही-सही कसर तब पूरी हो जाती है, जब दुनिया के कई बड़े देश अपना वर्चस्व साबित करने के लिए वेनेजुएला को नूराकुशती का अखाड़ा बना देते हैं।

वेनेजुएला संकट क्या है

- वर्तमान में यह साफ नहीं है कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है।
- 2019 की शुरुआत में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें पहले से सत्ताधारी निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा।
- चुनाव में मादुरो के सामने खुआन गोइदो थे, जो इसी महीने संसद में विपक्ष के नेता बने हैं।
- इससे पहले तक उन्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वह खुद को राष्ट्रपति बता रहे हैं।

वेनेजुएला पर अंतर्राष्ट्रीय विचार

- दुनिया के कई बड़े देशों ने वेनेजुएला को अपने सम्मान का सवाल बना लिया है।
- एक तरफ मादुरो पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति मादुरो की सरकार को नाजायज बता रहे हैं और वह नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गोइदो को औपचारिक तौर पर वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं।
- अमेरिका मादुरो को 'पूर्व राष्ट्रपति' बता रहा है और वेनेजुएला की सेना से भी गोइदो का समर्थन करने के लिए कह रहा है, जो अभी तक मादुरो के पाले में खड़ी दिख रही है।
- ऐसे रिएक्शन पर मादुरो ने अमेरिका से सारे संबंध तोड़ लिए हैं।
- 24 जनवरी को मादुरो ने वेनेजुएला में अमेरिकी राजदूत को

72 घंटों के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा।

- वहीं राजदूत ने यह कहते हुए जाने से इनकार किया है कि मादुरो के पास उन्हें ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं है।
- अमेरिका के गोइदो को राष्ट्रपति मानने के बाद कई और देशों ने भी उन्हें मान्यता दे दी।
- साउथ अमेरिका के सात देशों- ब्राजील, कोलंबिया, चिली, पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और पराग्वे ने गोइदो को अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया है।
- कनाडा भी गोइदो को समर्थन कर रहा है और यूरोपियन यूनियन वेनेजुएला में स्वतंत्र चुनाव के पक्ष में है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ते जा रहे मादुरो के पास अभी रूस, चीन, तुर्की, ईरान, मेक्सिको, बोलिविया और क्यूबा का समर्थन है।



वेनेजुएला की ऐसी हालत का कारण

- वेनेजुएला एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था।
- इसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है।
- सोने और हीरे की खदानें भी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी है।
- सरकार की 95 प्रतिशत आय तेल से ही होती रही है।
- 1998 में राष्ट्रपति बने ह्यूगो शावेज ने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए देश के सिस्टम में तमाम बदलाव किए।
- सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा शावेज ने उद्योगों का सरकारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ

- हल्ला बोल दिया, जहाँ भी पैसा कम पड़ा तो खूब कर्ज लिया और धीरे-धीरे देश कर्ज में डूबता चला गया।
- तेल कंपनियों से पैसा लेकर ज़रूरतमंद तबके पर खुलकर खर्च करने से शावेज मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में दीमक लग गया।
 - 2013 में शावेज ने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिन्हें विरासत में भारी-भरकम कर्ज मिला।
 - रणनीति तो चरमरा ही रही थी, साथ में तेल की कीमतें भी गिर रही थीं।
 - तेल सस्ता होने पर आय घटी और गरीबी बढ़ी, तो मादुरो ने मुद्रा की कीमत गिरा दी। इस कदम से भला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन महंगाई ज़रूर बढ़ने लगी।
 - जनता की जेब तो पहले से हल्की हो रही थी, अब उसके पेट पर भी लात पड़ने लगी।
 - यहाँ से देश का आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चौपट होने लगी।



वेनेजुएला के समक्ष सबसे बड़ी समस्या

- मुद्रा की कीमत घटना, बिजली कटौती और मूलभूत ज़रूरतों वाली चीज़ें महंगी होना।
- वेनेजुएला में हाइड्रो-पावर का बहुत उपयोग होता है। 2015 में पड़े सूखे की वजह से यहाँ बिजली का उत्पादन गिर गया।
- बिजली का संकट इतना बढ़ गया था कि अप्रैल 2016 में सरकार ने फैसला लिया कि अब से सरकारी दफ्तर सिर्फ सोमवार और मंगलवार को चलेंगे।
- नेशनल असंबली के आँकड़े बताते हैं कि बीते एक साल में मुद्रा-स्फीति (इन्फ्लेशन) दर 13,00,000% हो गई है।
- दिसंबर 2017 तक ही वेनेजुएला पर 14 हजार करोड़ डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कर्ज हो चुका था।
- जुलाई 2018 में सालाना महंगाई दर 83,000% तक पहुँच गई थी।
- वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, लेकिन भारी तेल होने के चलते इसे रिफाइन करने में ज्यादा खर्च आता है।

- वहाँ तेल कंपनियाँ सरकारी तो हो गई हैं, लेकिन तेल उत्पादन कम हो रहा है, जिससे रोजगार और आय का सवाल खड़ा हो गया है।

भारत पर प्रभाव

- वेनेजुएला से तेल खरीदने के मामले में भारत शीर्ष देशों में से एक है।
- मादुरो की गलत नीतियों के चलते अब अमेरिका उसके तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है।
- पिछले वर्ष मार्च में निकोलस मादुरो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे।
- भारत ने वेनेजुएला के साथ हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौता भी किया है।
- इसके अलावा वेनेजुएला के ऑयल क्षेत्र में भारत ने निवेश भी किया है। ऐसे में वहाँ पर गहराया आर्थिक और राजनीतिक संकट भारत-वेनेजुएला संबंधों को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह :

- अमेरिका, रूस और चीन ने वेनेजुएला में दखल दे दिया है, तो अब इस देश का भविष्य ऐसे ही बड़े देशों के हाथ में आ गया है।
- अमेरिका वेनेजुएला पर तेल संबंधी और प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे हालात और खराब हो जाएंगे। वेनेजुएला ने पहले ही रूस और चीन से अरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है।
- रूस के साथ उसकी 6 अरब डॉलर की डील हुई है। इस डील के कुछ वक्त बाद ही रूस ने अपने लड़ाकू विमान वेनेजुएला भेज दिए, जो उसकी सेना के साथ अभ्यास करेंगे।
- एक रास्ता यह भी हो सकता है कि वेनेजुएला कर्ज चुकाने से मना करते हुए हाथ खड़े कर दे और अमीर देशों की मदद का इंतज़ार करे।

प्र. वेनेजुएला संकट को वैश्विक शक्तियों ने और जटिल बना दिया है इस सन्दर्भ में राष्ट्र संघ की भूमिका की चर्चा करें तथा इस संकट का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करें।

अमेरिकी शटडाउन

चर्चा में क्यों?

- वित्तीय संकटों से गुजर रहा अमेरिका को आर्थिक मंजूरी प्रदान करने वाला बिल कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में अटक जाने से डोनाल्ड ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा है।
- आर्थिक बिल को मंजूरी ना मिलने से ट्रंप सरकार की मुश्किलें तो बढ़ती दिख रही है, लेकिन अमेरिका में लाखों सरकारी कर्मचारी की भी अब छुट्टी तय है।

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड

चर्चा में क्यों

- भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने दिवाला पेशेवर एजेंसियों - आईसीएआई (लीड पार्टनर) का भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान, दिवाला पेशेवरों का आईसीएसआई संस्थान तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की दिवाला पेशेवर एजेंसी के सहयोग से गुजरात के वड़ोदरा में दिवाला और दिवालियापन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी), अहमदाबाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान और तरलता प्रक्रियाओं के मामले में निर्णायक अधिकारियों की भूमिका की चर्चा की।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- यह कोड एक गतिशील कानून है और उभरती आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इसका निरंतर विकास होता है। दिवाला समाधान प्रक्रिया का आधार समाधान पेशेवर है। वह उचित रूप से सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है और बीमार कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन संचालन करता है।
- दिवालियापन पेशेवर लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी है क्योंकि समाधान प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक हितधारकों की आजीविका को प्रभावित करती है।
- यद्यपि यह कानून नया है लेकिन पिछले दो साल में इसे लागू करते हुए अनेक सीख मिली है। न्यायिक निर्णयों के साथ इस कानून का तालमेल बैठने लगा है।

कोड तथा आईबीबीआई की भूमिका की समीक्षा

- भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किए
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एक आधुनिक आर्थिक कानून है।
- इस संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को नियमन बनाने का अधिकार दिया गया है

हालांकि, इसके तहत इन शर्तों का पालन करना होगा:

1. संहिता के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना होगा,
2. ये संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे,
3. इन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए बनाना होगा। इन्हें जल्द से जल्द संसद के हर सदन में 30 दिनों के लिए प्रस्तुत करना होगा।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

- संहिता के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अधीनस्थ कानूनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आईबीबीआई में एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ व्यवस्था हो जिसमें नियम-कायदे बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ कारगर संवाद करना भी शामिल है।
- संहिता की धारा 196 (1) के तहत आईबीबीआई के लिए यह आवश्यक है कि वह नियमन की अधिसूचना से पहले नियम-कायदे जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था को निर्दिष्ट करे, जिसमें सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं का संचालन करना भी शामिल है।
- इस अवधारणा और वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किए हैं, ताकि नियम-कायदे बनाने और आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया का संचालन किया जा सके।

भारतीय दिवालियापन बोर्ड

- आईबीबीआई की स्थापना दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत की गई है।
- इस अधिनियम में आईबीबीआई को कई कार्यों के साथ एक रेफरी संस्थान का रूप दिया गया है जिसमें व्यवसायों के दिवालियापन से संबंधित एजेंसियों और पेशेवरों के नियमों और नियंत्रणों को बनाना व उन्हें लागू करना शामिल हैं।

आईबीबीआई के कार्य :

- आईबीबीआई की प्राथमिक जिम्मेदारी है पुनर्गठन और कॉर्पोरेट इकाईयों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवालिया होने के प्रस्ताव के संबंध में कानून बनाना और उन्हें संशोधित करना।
- दिवाला पेशेवरों, प्रक्रियाओं और संस्थानों के लिए नियम बनाना। इन के लिए अब तक तीन प्रकार के नियम निर्धारित किए जा चुके हैं - दिवाला पेशेवरों से संबंधित, दिवालिया एजेंसियों से संबंधित और मॉडल उपनियम और दिवालिया पेशेवर एजेंसियों का शासी बोर्ड।
- नियमों का उद्देश्य किसी भी कॉर्पोरेट इकाई के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। 'कॉर्पोरेट इकाई' में कंपनी अधिनियम के तहत बनाई गई किसी भी कंपनी को शामिल किया गया है जिसमें एलएलपी (LLP) भी शामिल है लेकिन इसमें कोई भी वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल नहीं है।

आईबीबीआई की संगठनात्मक संरचना

- एक अध्यक्ष- एम एस साहू को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार के तीन सदस्य- संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद से ऊपर के अधिकारी।
- आरबीआई द्वारा नामांकित एक सदस्य
- केंद्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य; इनमें से तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
- इसके बोर्ड के आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।
- विभिन्न मुद्दों पर इनपुट प्रदान करने के लिए आईबीबीआई को दो सलाहकार पैनलों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

प्र. दिवाला और दिवालियापन अधिनियम 2016 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए बताएं कि यह बैंकों की गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों की समस्याओं के समाधान में किस हद तक सहायक है?

बाबा कल्याणी समिति**चर्चा में क्यों**

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति का अध्ययन करने के लिए जून-2018 में बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में हितधारकों का एक समूह गठित किया था।
- भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाली कमेटी ऑन स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (SEZ) ने SEZ को एक्सपोर्ट से डीलिंग करने और इन्हें जोन से बाहर की कंपनियों से डील होने पर पेमेंट रुपये में करने की इजाजत दिए जाने की सिफारिश की है।

समिति के कार्य

- सेज नीति का अध्ययन करना, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देना, सेज नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनाना, सेज नीति में सुधार का सुझाव देना, सेज योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना और सेज नीति को अन्य समान योजनाओं के अनुरूप संगत बनाने के लिए सुझाव देना।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- SEZ को सक्षम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्बाध वॉटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ एंजलॉयमेंट एंड इकॉनॉमिक एनक्लेव (3E) में कन्वर्ट कर दिया जाए।
- SEZ को एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से डीलिंग किया जाए और उसे इनवेस्टमेंट कमिटमेंट, वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी डिफरेंसिएशन के जरिए जॉब क्रिएशन का जरिया बनाया जाए।
- उसने सुझाव दिया है कि राज्यों और केंद्र को इनके लिए इनसेंटिव पैकेज के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
- मैनुफैक्चरिंग SEZ के बाबत ड्राफ्ट में कहा गया है कि 3E में एक्सपोर्ट से जुड़े इंसेंटिव लिंकेज हट जाएंगे और उसके लिए नेट फॉरेन एक्सचेंज (नेट फॉरेन एक्सचेंज) की शर्त जरूरी नहीं रह जाएगी। सर्विस SEZ के लिए रुपये में डोमेस्टिक मार्केट सप्लाई की इजाजत देने का प्रस्ताव है।
- सरकार ने हाल ही में SEZ के रूल में बदलाव किया था ताकि उन एरिया से बाहर डोमेस्टिक टैरिफ जोन में जानेवाली सप्लाई से होनेवाली आमदनी NFE के दायरे में नहीं आएगी।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन के अनुसार SEZ को फॉरेन एक्सचेंज से जोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बैंकों को फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग बिजनेस मिलता है लेकिन इंडियन यूनिट के लिए वह एडिशनल कॉस्ट होती है और मौजूदा फॉरेन एक्सचेंज देश में ही रह जाता है।
- समिति ने ठोस आर्बिट्रेशन और कमर्शियल कोर्ट के जरिए समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन अप्रूवल और विवाद निपटारा सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आसान एग्जिट प्रोसेस की वकालत की है।
- इसने 3E प्रोजेक्ट्स को सस्ता फाइनेंस मुहैया कराने के लिए उसके वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा की मांग की है।
- समिति ने WTO के नॉर्म्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तर्ज पर सरकार को इंजीनियरिंग और डिजाइन, बायोटेक और हेल्थकेयर सर्विसेज जैसे क्षेत्र में डायवर्सिफिकेशन के लिए सनराइज लिस्ट बनाने का सुझाव दिया है।
- SEZ समिति ने कहा, 'इंडस्ट्रियल पार्क्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, SEZ, नेशनल इनवेस्टमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग जोन और सेक्टरल पार्क की एक जैसी स्कीमों में कॉम्पिटिशन

भावनात्मक बुद्धि/निर्णयन में इसकी भूमिका


संदर्भ :

- इमोशनल इंटेलीजेंस या भावनात्मक बुद्धि (Emotional Intelligence) दो शोधकर्ताओं पीटर सैलेवॉय एवं जॉन मेयर द्वारा सृजित पद हैं जिसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय 1996 में इसी नाम से प्रकाशित डैन गोलमैन की पुस्तक को जाता है। भावनात्मक बुद्धि में मुख्यतः दो तत्व शामिल हैं -
 1. खुद की भावनाओं की पहचान, समझ व प्रबंधन
 2. दूसरों की भावनाओं की पहचान, समझ व प्रभावित करना।
- सामान्य शब्दों में या व्यावहारिक रूप में भावनात्मक बुद्धि से तात्पर्य है कि हम इस बात से अवगत हों कि हमारे व्यवहार को हमारी भावनाएं संचालित कर सकती हैं और ये भावनाएं लोगों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- डॉ. गोलमैन के अनुसार 'भावनात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता है, ताकि वे भावनाएं प्रभावी व उचित तरीके से अभिव्यक्त हो सकें।' कार्यस्थल पर सफलता की दिशा तय करने वाला यह सबसे बड़ा कारक है।
- डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक में भावनात्मक बुद्धि के निम्नलिखित पाँच श्रेणियों का उल्लेख किया है -
 1. **स्व-जागरूकता (Self-awareness)** : यदि कोई व्यक्ति अपने मजबूत व कमजोर पक्षों को अच्छी तरह समझता है तब समझा जाता है कि उसे भावनात्मक समझ स्व-जागरूकता पर अच्छी पकड़ है।
 2. **स्व-विनियमन (Self-regulation)** : उच्चतर भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय संयम व नियंत्रण का पालन करने की क्षमता निहित होती है।
 3. **अभिप्रेरण (Motivation)** : उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति स्व-प्रेरित, लचीला होने के साथ-साथ धन व प्रतिष्ठा जैसे बाह्य कारकों के वनिस्पत आंतरिक लक्ष्यों से अधिक प्रभावित होते हैं।

4. **परानुभूति (Empathy)** : परानुभूति युक्त व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की क्षमता निहित होती है तथा उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की चिंताओं का प्रत्युत्तर देने में मदद करता है।
5. **सामाजिक कौशल (Social Skills)** : जिन लोगों की भावनात्मक बुद्धि मजबूत होती है वे अन्य लोगों के साथ आसानी से विश्वास का निर्माण कर लेते हैं और जिन लोगों के साथ मिलते हैं उनमें अपना सम्मान स्थापित कर लेते हैं।

भावनात्मक बुद्धि की सामान्य भूमिका

- वे परिस्थितियाँ जहाँ हमें अपनी भावनाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की जरूरत होती है और जहाँ उच्चतर भावनात्मक बुद्धि अपनी भूमिका निभाती है -
 1. फीडबैक देना व प्राप्त करना
 2. कड़े समय-सीमा का अनुपालन के समय
 3. पर्याप्त संसाधन नहीं होना
 4. बदलाव से निपटना
 5. असफलताओं से निपटना



- कार्यस्थल पर तथा निर्णय लेने में भावनात्मक बुद्धि की भूमिका गोलडमैन मॉडल के मुताबिक अत्यधिक भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में आत्म-नियंत्रण व अभिप्रेरण की अधिक क्षमता होती है। सामान्य तौर पर कार्यस्थल पर कर्मचारियों में नेतृत्व कौशल की जांच में भावनात्मक बुद्धि का भी परीक्षण किया जाता है।
- इमोशनल इंटेलीजेंस 2.0 के लेखक ट्रेविस ब्रैडबेरी के मुताबिक, 'कार्यस्थल पर हमने जितने भी लोगों का अध्ययन किया, हमने पाया कि उच्च प्रदर्शन करने वाले 90 प्रतिशत लोगों में उच्च भावनात्मक बुद्धि पाई गई, केवल 20 प्रतिशत निम्न प्रदर्शन करने वाले लोगों में उच्च भावनात्मक बुद्धि

पाई गई।'।

- निर्णयन में भावनात्मक बुद्धि की भूमिका को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि निर्णयन होता क्या है? सामान्य शब्दों में निर्णयन दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन है। निर्णयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होते हैं -

1. कार्यवाही हेतु एक से अधिक संभावित विकल्पों का मौजूद होना।
2. निर्णय लेने वाले लोग निर्णय से जुड़ी भावी अपेक्षाओं का निर्माण कर सकते हैं।
3. संभावित परिणामों से जुड़े प्रभावों को प्रत्यक्ष हो रहे व्यक्तिगत मूल्यों एवं मौजूदा लक्ष्यों के संदर्भ में आंकलन किया जा सकता है।

- जहाँ तक निर्णयन में भावनात्मक बुद्धि की भूमिका का सवाल है तो इसे आज के संगठनों में कार्य माहौल के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। वस्तुतः आज के संगठन कई जटिल व बदलते आंतरिक व बाह्य माहौलों का सामना करते हैं और इन चरम स्थितियों का सामना करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्णय लेने वालों के पास कई कौशल एवं क्षमताओं का होना जरूरी है।

- डिजिटल के मुताबिक बेहतर प्रबंधक स्व-प्रबंधन, संबंध कौशल तथा दूसरों पर उनके व्यवहार के प्रभाव के संयोजन के द्वारा निर्णय लेते हैं। वे यह भी कहते हैं कि नेतृत्व के निर्धारण एवं संगठन की सफलताओं में परंपरागत बुद्धि की तुलना में इमोशनल इंटेलिजेंस अधिक भूमिका निभाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस निम्नलिखित रूप में मदद कर सकती हैं -

1. यह लोगों को उनकी अंतर्वैयक्तिक शैलियों के बारे में अधिक जागरूक रखती है।
2. यह लोगों को उनके विचारों एवं व्यवहारों पर भावनाओं के प्रभावों को पहचानने एवं प्रबंधन में मदद करती है।
3. यह लोगों को दूसरों के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए और कैसे सुधारना चाहिए, में मदद करती है।

- जो व्यक्ति भावनात्मक तौर पर बुद्धिमान माने जाते हैं वे दूसरों द्वारा महसूस किए जाने से पहले ही अपनी भावनाओं को पहचानकर उसकी व्याख्या कर लेते हैं। इस क्षमता के कारण कोई व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों को त्वरित तरीके से दृष्टिपात कर लेते हैं।

- भावनात्मक तौर पर कुशाग्र व्यक्ति चेहरे की अभिव्यक्तियों से किए जाने वाले संचार को भी सटीक तरीके से पहचान लेते हैं।

- उपर्युक्त के अतिरिक्त भावात्मक तौर पर कुशाग्र व्यक्ति में गैर-शाब्दिक अभिव्यक्ति के द्वारा या शाब्दिक संचार के

द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित होती है।

- नैतिक दुविधा की स्थिति में व्यक्ति सामान्य तौर पर अपनी भावनाओं से निपटने में परेशानी का अनुभव करता है। ऐसे में अपनी भावनाओं को समझकर उस पर नियंत्रण रखकर व्यक्ति उस नैतिक दुविधा से बाहर आ सकता है।

- जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भावनात्मक कुशाग्रता व्यक्ति को उसकी कोई भी भावनाओं, न केवल दबाव या उद्विग्नता जैसी नकारात्मक भावनाएं बल्कि उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाओं को असंबंधित निर्णयों को प्रभावित करने से रोकती है। कोटे के अनुसार 'जो लोग भावनात्मक तौर पर कुशाग्र होते हैं, वे निर्णयन से सारी भावनाओं को नहीं हटाते वरन् उन भावनाओं को दूर रखते हैं जिनका निर्णय लेने से कोई संबंध नहीं होता।'।

- भावनात्मक विनियम किसी व्यक्ति को उसकी भावनात्मक अवस्थिति पर गहन निगरानी में मदद करता है। भावनाओं में किसी प्रकार का उतार-चढ़ाव व्यक्ति को सही तरीके से व्यवहार करने के लिए इंगित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर ग्राहक सेवा केन्द्र का कोई व्यक्ति एक क्रोधी व्यक्ति का सामना कर रहा होता है तो हो सकता है तब उसमें गुस्सा भी पैदा हो सकता है। इस व्यवहार को विनियमन करने की व्यक्ति की क्षमता उसे यह महसूस कराएगा कि उसका यह व्यवहार उस परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं। कार्य स्थल पर उसके जॉब की सफलता बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है।

- भावनात्मक रूप से कुशाग्र व्यक्ति, जो कि नैतिक मुद्दों पर पक्ष लेते हैं उनके सुने जाने की संभावना अधिक होती है और उनका अनुशरण भी किया जा सकता है। किसी संगठन में नेतृत्व वाले उन लोगों के मामले यह अधिक सही है जो व्यक्तिगत दृढ़ता से युक्त होते हैं।

निष्कर्ष

- उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भावात्मक बुद्धि निर्णयन एवं कार्य स्थल पर प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रशासकों के संदर्भ में भी यह कथन सत्य है।

केस स्टडी (1)

मुद्दा क्या है?

- अवैध खनन के आरोपों में फंसी आईएस अधिकारी बी चंद्रकला से पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम लखनऊ के ऑफिस में उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले चंद्रकला ईडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने ईडी कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए थे।

सामाजिक मुद्दों से संबंधित लेख

प्रारंभिक शिक्षा नीति में बदलाव

चर्चा में क्यों?

- स्कूलों में आठवीं तक फेल न करने की नीति में बदलाव को 2 जनवरी को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। इसके तहत स्कूलों में अब पहली से आठवीं तक छात्रों को फेल भी किया जा सकेगा।

मुख्य तथ्य :

- हालांकि उन्हें इससे पहले पास होने का एक मौका दिया जाएगा। जिसके तहत मुख्य परीक्षा के दो महीने के भीतर ही दूसरी बार फिर परीक्षा ली जाएगी।
- लोकसभा में इस विधेयक को पिछले साल ही मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब इस विधेयक पर अमल किया जा सकेगा
- राज्यसभा में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक-2018 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए इस बदलाव को पेश किया।
- वर्तमान समय में आठवीं तक छात्रों को फेल न करने की नीति से शैक्षणिक गुणवत्ता में पहले के मुकाबले गिरावट आई है।
- चार राज्यों के विरोध को देखते हुए सरकार ने फेल न करने की नीति में बदलाव को लेकर राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी है। इसके तहत यदि कोई राज्य इससे सहमत नहीं है, तो अपने लिहाज से परीक्षा कराने या न कराने का फैसला लेने के संदर्भ में वह स्वतंत्र है।

फेल न करने की पूर्ववर्ती नीति का कारण

- स्कूलों में आठवीं तक फेल न करने की नीति यूपीए सरकार के दौरान बच्चों के

स्कूल छोड़ने की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया था। इसके चलते प्रत्येक छात्र आठवीं तक पास होता चला जाता है, जबकि नौवीं में वह फेल हो जाता है। ऐसे में नौवीं में अचानक छात्रों के फेल होने की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी।

असर 2018 रिपोर्ट

- एक तरफ जहां सरकार भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रही है या ये कह लें की शिक्षा के मामले में बेवकूफ बना रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा-‘आज के बच्चे देश का भविष्य हैं।’
- शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ छात्र किसी भी देश की पूंजी होते हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सरकारें तमाम तरह की योजनाएं बनाती हैं। भारत में कोई भी बच्चा (ग्रामीण या शहरी इलाका) शिक्षा हासिल करने के बुनियादी अधिकार से वंचित न रहे उनके लिए राइट टू एजुकेशन 2009 का प्रावधान किया गया।
- असर (ASER) की रिपोर्ट के अनुसार

देश के 24 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा का हाल नीति नियामकों के माथे पर चिंता की लकीर खींचता है। देश में शिक्षा का हाल क्या है इससे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में छात्रों से किस तरह के सवाल किये गए थे -

- कितने काबिल हैं सेकंडरी स्कूल के छात्र
- 57% छात्रों को नहीं आता साधारण भाग
- 40% बच्चे नहीं पढ़ सकते इंग्लिश सेंटेंस
- 25% बिना रुके नहीं पढ़ सकते अपनी भाषा
- 76% स्टूडेंट नहीं कर सकते नोटों की गिनती
- 58% स्टूडेंट नहीं जानते अपने राज्य का नक्शा
- 14% स्टूडेंट नहीं जानते अपने देश का नक्शा

- सर्वे में देश के 24 राज्यों के 28 जिलों को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश



से वाराणसी और बिजनौर, मध्य प्रदेश से भोपाल और रीवा, छत्तीसगढ़ से धमतरी, बिहार से मुजफ्फरपुर और हरियाणा से सोनीपत जैसे जिले भी सम्मिलित थे।

- 14-18 उम्र समूह में 28,323 छात्रों से सवाल जवाब किये गये। इसके साथ ही 60 प्रतिशत छात्र 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सर्वे में वैसे छात्रों को शामिल किया गया जो या तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके थे या कक्षा आठ की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं।
- सरकार एक तरफ डिजिटल इंडिया के जरिए गांवों को मुख्यधारा में शामिल करने का अभियान चला रही है। लेकिन सर्वे से एक हफ्ते पहले केवल 28 प्रतिशत छात्रों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया और 26 प्रतिशत छात्रों ने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था।
- असर (एनुअल स्टेटस एजुकेशन) की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 60 प्रतिशत युवा ही 12 वीं के आगे पढ़ना चाहते हैं। इस दौरान लड़के और लड़कियों की व्यावसायिक आकांक्षाओं में भी स्पष्ट अंतर दिखाई देता है ज्यादातर लड़कों की रुचि सेना, पुलिस में जाने के साथ इंजीनियर बनने की है, जबकि लड़कियां नर्स और शिक्षक बनना चाहती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार देश में मौजूदा समय में से 18 आयु वर्ग के करीब 10 करोड़

युवा हैं। इनमें प्रतिशत युवा ही ऐसे हैं, जो मौजूदा समय में औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं। इनमें करीब 60 प्रतिशत ऐसे हैं, जो उच्च शिक्षा यानी 12वीं के आगे पढ़ना चाहते हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार 12वीं के आगे न पढ़ने वालों में से ज्यादातर ऐसे हैं, जिनके ऊपर पढ़ाई के साथ-साथ काम का भी दबाव है।
- लगभग 42 प्रतिशत ऐसे युवा हैं, जो पढ़ाई के साथ काम भी करते हैं। इनमें 79 प्रतिशत खेती का काम करते हैं। तीन चौथाई ऐसे युवा हैं, जिन्हें पढ़ाई के साथ-साथ घर पर प्रतिदिन काम करना होता है।
- इनमें भी करीब 71 प्रतिशत लड़के हैं, जबकि 89 प्रतिशत लड़कियां हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हेतु सुझाव

- शिक्षक समाज की सर्वाधिक संवेदनशील इकाई है। शिक्षक अपना काम ठीक तरह से नहीं करते- यह आरोप तो सर्वत्र लगाया जाता है।
- लेकिन यह विचार कोई नहीं करता कि उसे पढ़ाने क्यों नहीं दिया जाता? प्रशासन द्वारा आए दिन गैर-शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों का इस्तेमाल से शिक्षकों की शैक्षिक सोच और शैक्षिक कार्यक्रमों को अत्यधिक प्रभावित करता है।
- प्रशासनिक कार्यालय और अधिकारीगण शिक्षा और शिक्षकों की लगातार उपेक्षा

करते हैं। उन्हें काम भी नहीं करने देते। इसी कारण स्कूली शिक्षा में अपेक्षित सुधार संभव नहीं हो पा रहा है।

1. सुधार के लिए क्या करें?

- स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमें स्कूलों के बारे में अपनी परम्परागत विचारधारा को बदलना होगा। अभी स्कूलों को कार्यालय समझकर, शिक्षकों को प्रतिदिन अनेक प्रकार की डाक बनाने और आँकड़े देने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता रहता है।
- बच्चे अपने शिक्षकों से नियमित रूप से जुड़े रहना चाहते हैं, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर। अतः स्कूलों को कार्यालयीन कामकाज से वास्तव में मुक्त कर प्रभावी शिक्षण संस्थान बनाया जाना चाहिए।

2. विद्यालय बनाम सामुदायिक शिक्षण केन्द्र

- हमारे शासकीय विद्यालय बाल शिक्षण (6-14 आयु वर्ग के बच्चों) के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। शिशु शिक्षण के लिए संचालित आँगनवाड़ी और प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्यरत सतत शिक्षा केन्द्रों का सम्बंध विद्यालय से केवल कहने मात्र को है।
- वास्तव में इन सभी के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। यदि इन तीनों एजेंसियों को एकीकृत कर दिया जाए तो 3 से 50 वर्ष तक के लिए शिक्षण की बेहतर व्यवस्था सम्भव है।
- यह आवश्यक है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और सतत शिक्षा केन्द्रों के प्रेरक को एक साथ मिल-बैठकर कार्य करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। यदि तीनों एजेंसी एकीकृत स्वरूप में कार्य करने लगे तो संभव है स्कूल की कार्यावधि 12 से 14 घण्टे प्रतिदिन तक हो जाए। साथ ही समुदाय के सभी वर्गों के लिए स्कूल में प्रवेश और सीखने के अवसर बढ़ सकते हैं।
- अभी अधिकांश स्कूल अन्य सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर 10 से 5 की



अवधि में ही खुलते हैं। इस कारण से रोजगार में जुटे परिवारों के बच्चों के लिए वे अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

- स्कूल की समयावधि सरकारी नियंत्रण में होने के कारण बच्चों की उपस्थिति और सीखने का समय कमतर होता जा रहा है। स्कूली उम्र पार कर चुके किशोरों, युवाओं, महिलाओं और कामकाजी लोगों के लिए स्कूल के दरवाजे एक तरह से बन्द हो गये हैं।
- विद्यालय समाज की लघुतम इकाई के रूप में 'सामाजिक शिक्षण केन्द्र' के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में पहल किए जाने का दायित्व स्थानीय 'पालक शिक्षक संघ' पूरा कर सकते हैं।
- अगर समाज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय और थाने दिन-रात खुले रह सकते हैं, तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि विद्यालय कम-से-कम 12-16 घंटे जरूर खुलें।

3. शिक्षक-छात्र अनुपात ठीक हो

- शैक्षणिक सुधार में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रभावी शिक्षण, शिक्षकों की योग्यता, सक्रियता और पढ़ाने के कौशल पर निर्भर करता है। एक शिक्षक, एक साथ कितनी कक्षाओं के कितने बच्चों को भली-भांति पढ़ा सकेगा, इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है।
- आदर्श रूप में एक शिक्षक अधिकतम 20 बच्चों को ही ठीक प्रकार पढ़ा सकता है। वह भी तब, जब वे भी एक समान स्तर के हों। अभी व्यवस्था यह है कि एक शिक्षक 40 बच्चों को (और वे भी अलग-अलग स्तरों के हैं) पढ़ाएगा।
- अनेक स्कूलों में तो 70-80 से भी अधिक बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षक मात्र बच्चों को घेरकर ही रख पाते हैं पढ़ाई तो कतई संभव नहीं। शिक्षक बच्चों को पढ़ा पाएँ, इस हेतु शिक्षक-छात्र अनुपात को व्यावहारिक बनाना होगा।

4. प्रशिक्षण, शिक्षण और परीक्षण

- स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की जरूरत है। अभी शिक्षण की विधियाँ राज्य स्तर से तय कर दी जाती हैं। कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार दिया जाता है या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है।
- अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण का दायित्व कर्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नवाचारी एवं गुणात्मक पद्धतियाँ विकसित करने सहित परीक्षण (मूल्यांकन) की व्यापक प्रविधियाँ तय कर उन्हें व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हर प्रदेश में एक 'शैक्षिक संदर्भ एवं स्रोत केन्द्र' विकसित किया जाए।

5. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूलक परियोजनाएँ

- शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संस्थाएँ कार्यरत हैं। रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी शासकीय स्तर पर परियोजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
- मानव विकास के बुनियादी सूचकांक होते हुए भी इनमें तालमेल न होने के कारण इनकी गति अपेक्षित नहीं है। धन की गरीबी से ज्ञान की गरीबी का विशेष संबंध है।
- ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में ज्ञान की गरीबी पसरी हुई है। जानकारी के अभाव में वे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते। अनेक परियोजनाओं के बावजूद उनकी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी रोजगार की प्रक्रियाएँ बाधित होती हैं।
- अब समय आ गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लागू परियोजनाओं को समेकित ढंग से किसी सुनिश्चित क्षेत्र में लागू कर परिणामों

की समीक्षा की जाए। अच्छे परिणाम आने पर उन्हें पूरे देश भर में लागू किया जाए।

- इस प्रकार हम अपने संसाधनों और मानवीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकेंगे जिससे शिक्षा के गुणात्मक विकास की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

6. पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें

- अभी वास्तव में यह ठीक प्रकार से तय ही नहीं हो पाया है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को कितना सिखाया जा सकता है और सिखाने के लिए न्यूनतम कितने साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता होगी।
- नई शिक्षा नीति 1986 लागू होने के बाद न्यूनतम अधिगम स्तरों को आधार मानकर पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यक्रम तो लगातार बदलते जा रहे हैं, लेकिन उनके अनुरूप सुविधाओं और साधनों की पूर्ति ठीक से नहीं की गई है।
- यह सोच भी बेहद खतरनाक है कि केवल पाठ्यपुस्तकों के जरिए हम भाषायी एवं गणितीय कौशलों और पर्यावरणीय ज्ञान को ठीक प्रकार विकसित कर सकते हैं। यथार्थ में पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई का एक छोटा साधन मात्र बस होती हैं साध्य नहीं। कक्षाओं पर केन्द्रित पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम को श्रेणीबद्ध रूप में निर्धारित करना भी नुकसानदेह है।
- बच्चों की सीखने की क्षमता पर उनके पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ता है, अतः सभी क्षेत्रों में एक समान पाठ्यक्रम और एक जैसी पाठ्यपुस्तकें लागू करना बच्चों के साथ नाइंसाफी है।

7. शैक्षिक उद्देश्य

- स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए हमें वर्तमान शैक्षिक उद्देश्यों को भी पुनरीक्षित करना होगा। शिक्षा, महज परीक्षा पास करने या नौकरी/रोजगार पाने का साधन नहीं है।
- शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास करने और स्वस्थ जीवन निर्माण के लिए भी

अति आवश्यक है।

- शिक्षा प्रत्येक बच्चे को श्रेष्ठ इंसान बनने की ओर प्रोत्साहित करे, तभी वह सार्थक सिद्ध हो सकती है। कहा भी गया है 'सा विद्या या विमुक्तये'। अभी पढ़े-लिखे और गैर पढ़े-लिखे व्यक्ति के आचरण और चरित्र में कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता। उल्टे पढ़े-लिख लेने के बाद तो व्यक्ति श्रम से कतराने लगता है और अनेक प्रकार के दुराचरणों में संलिप्त हो जाता है। यह स्थिति एक तरह से हमारी वर्तमान शैक्षिक पद्धति की असफलता सिद्ध करती है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षा के उद्देश्यों को सामयिक रूप से परिभाषित कर पुनरीक्षित किया जाए।

8. शिक्षकों को 'शिक्षक' के रूप में अवसर मिले

- समान कार्य के लिए समान कार्य परिस्थितियाँ और समान वेतन की अनुशंसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में और मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 21, 22, और 23 में वर्णित होते हुए भी नाना नामधारी शिक्षक मौजूद हैं।
- एक ही विद्यालय में अनेक प्रकार के शिक्षकों के पदस्थ रहते सभी के मन में घोषित-अघोषित तनावों के कारण पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है।
- इस परिस्थिति को गम्भीरता से समझे बगैर और परिस्थितियों में सुधार किए बगैर भला शिक्षण में सुधार कैसे होगा? शासन को सभी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक समान कार्यनीति, समान पदनाम, समान वेतनमान देने की नीति तय कर एक निश्चित कार्यावधि के बाद पदोन्नति देने का भी निर्णय करना चाहिए।

9. श्रेष्ठतम शैक्षिक कार्यकर्ता

- शैक्षिक परिवर्तन के लिए शिक्षकों का मनोबल बनाए रखने और उत्साहपूर्वक कार्य करने की इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए संगठित प्रयास करने होंगे। अभी शिक्षा व्यवस्था में बालकों और पालकों

की भागीदारी न्यूनतम है, इसलिए सभी शैक्षिक कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं।

- स्कूलों में भी जिस प्रकार समर्पित स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, वे नहीं हैं। अतः यह आवश्यक है कि श्रेष्ठतम शैक्षिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।

10. शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए

- विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाती है जिसमें उनका मनोबल सदैव ऊँचा बना रहे। जब तक अनुभव जन्य ज्ञान, और कौशलों को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक 'बालकेन्द्रित शिक्षण' की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है।
- बाल केन्द्रित शिक्षण के लिए कार्यरत शिक्षकों की दक्षता और मनोबल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- यह आवश्यक है कि शिक्षकों को उनके व्यक्तित्व विकास की प्रक्रियाओं सहित ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाए जहाँ उन्हें अपने अन्दर झाँकने, कुछ बेहतर कर गुजरने की प्रेरणा मिल सके। इस प्रशिक्षण उपरान्त उन्हें कार्यरत स्थलों पर 'ऑन द जॉब सपोर्ट' के रूप में ऐसे सहयोगी दिए जाएँ जो उनका उत्साहवर्धन करें।
- किसी ऐसी संस्था को इस दिशा में काम करने की जरूरत है जो सामाजिक बदलाव के लिए व्यापक दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करने के लिए सहमत हो और उसके पास स्वयं के संसाधन भी उपलब्ध हों।
- आज जरूरत इस बात की है कि किसी प्रकार पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और शैक्षिक कार्यक्रमों में तालमेल बनाया जाए। समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचान कर उनकी जरूरतों के अनुरूप निर्णय लेते

हुए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें व्यवसायिक योग्यता में वृद्धि की जा सके।

- शिक्षा के प्रशासन एवं प्रबंधन में उत्तरदायी भूमिका निभाने वाले संस्था प्रधानों की नियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु शिक्षा विभाग एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संगठनों को शीघ्र कारगर कदम उठाना चाहिए। संस्था प्रधानों की भूमिका को सशक्त बनाए बगैर शिक्षा में सुधार की संभावनाएँ अत्यंत क्षीण रहेंगी।

11. प्रशासनिक/प्रबन्धकीय व्यवस्थागत सुधार

- शिक्षा प्रशासन की यह नियति बन गई है कि इसमें उच्च शिक्षा स्तर पर भी स्थायित्व नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्ययोजना 1992 में स्वीकृत अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है।
- लगभग हर स्तर पर निर्णायक पदों पर नियुक्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शिक्षा क्षेत्र में आ रही गिरावट और असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते। हाँ, किसी छोटी-सी सफलता का श्रेय अवश्य हासिल करते नजर आते हैं।
- शिक्षा में सुधार के लिए कार्यरत शिक्षकों को समर्थन देने की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा के प्रबन्धन और प्रशासन को सुधारा जाए। म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2003 में गठित 'स्पेशल टास्क फोर्स' की अनुशंसाओं को लागू किए जाने की भी आज अत्यंत आवश्यकता है जो एक दस्तावेज में सिमट कर रह गई हैं।
- मध्य प्रदेश देशभर में सर्वप्रथम जन शिक्षा अधिनियम तैयार कर लागू करने वाले प्रदेश के रूप में उभरा है। क्रियान्वयन के स्तर पर जरूर अनेक कार्य अभी शेष हैं जिसमें प्रमुख कार्य सभी स्तरों पर कार्यरत शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु मैनुअल (संचालन मार्गदर्शिकाओं) सृजन कर उन्हें लागू करना है, ताकि कार्यरत

- स्टाफ बेहतर प्रदर्शन कर सके।
- प्रदेश के सभी जनशिक्षा केन्द्रों को प्रबंधन और प्रशासन के प्रति उत्तरदायी भूमिका सौंपते हुए जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी को आहरण वितरण अधिकार दिए जाने चाहिए।
 - यह अत्यंत आवश्यक है कि समग्रतः शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित किए जाने हेतु राज्य की शिक्षा नीति तैयार की जानी चाहिए।
 - कार्यरत शिक्षकों की दक्षता का सम्मान और उनकी कार्यदक्षता का उपयोग किए जाने की दृष्टि से विभागीय दक्षता परीक्षा का आयोजन कर सभी को प्रोन्नत किया जाना चाहिए। अंततः शैक्षिक सुधार के लिए अब हमें विचार करने की बजाय कर्तव्य की ओर बढ़ना होगा।
 - आज शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक सुधार

की दृष्टि से शीघ्र सार्थक कदम उठाते हुए हमें ऐसी शिक्षण पद्धति और कार्यक्रम विकसित करने होंगे जो बच्चों के मन में श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करें। समग्रतः एक ऐसा प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम बनाना होगा जिसमें -

- पाठ्यक्रम लचीला और गतिविधि आधारित हो, साथ ही बच्चों की ग्रहण क्षमता के अनुरूप भी।
- कक्षागत पाठ्य योजनाएँ, स्वयं शिक्षकों द्वारा तैयार की जाएँ और उन्हें पूरा किया जाए।
- राज्य की शिक्षा नीति निर्धारण में शिक्षाविदों और कार्यरत शिक्षकों को वास्तव में सहभागी बना कर सभी के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए।
- जन भागीदारी समितियाँ (पालक शिक्षक संघ) प्रबन्धन का दायित्व स्वीकारें - शैक्षिक प्रशासन तंत्र भी शालाओं में

अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। शिक्षण का अधिकार शिक्षकों को वास्तव में सौंपा जाए।

- शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने का अधिकार शिक्षकों को हो, प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं।
- कक्षाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात ठीक किया जाए, साथ ही पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक सामग्री की पूर्ति और शिक्षकों की भर्ती की जाए।
- पाठ्यपुस्तकों की रचना स्थापित रचनाकारों की बजाय शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से की जानी चाहिए, जो शैक्षिक दृष्टि से उपयुक्त हो।
- शैक्षिक सुधारों को लागू करने में संस्था प्रधानों और शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाए।
- शिक्षकों के सहयोग हेतु 'राज्य शिक्षक सन्दर्भ और स्रोत केन्द्र' स्थापित किए जाएँ।

NRC तथा संकट

निबंध खण्ड

संदर्भ :

- असम देश का पहला राज्य है जहाँ 1971 की मतदाता सूची की विरासतीय आंकड़े के आधार पर 1951 के बाद नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण फिर से तैयार किया जा रहा है। उस पुराने आंकड़े में खुद को खोजना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- लोग और क्षेत्र के बीच संबंध को राज्य की संस्था के माध्यम से मध्यस्थ बनाया जाता है जो मानव इतिहास में शायद ही कभी स्थिर रही है। राष्ट्र-राज्य अवधारणा 18वीं शताब्दी के मध्य से उभरा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में व्यापक रूप से फैल गया।
- इसने, लोग और राज्य के बीच के पूर्व की संप्रभुता व प्रजा के संबंधों को नागरिकता के रूप में परिभाषित नए संगठन से जोड़ा।

- प्रमुख विचारक जीन-जैक्स रूसो, जिन्होंने 'सामाजिक अनुबंध सिद्धांत' (सोशल कॉन्ट्रैक्ट) के माध्यम से राष्ट्र-राज्य के विचार को प्रतिपादित किया, ने तर्क दिया कि राज्य की शक्ति उसके लोगों में निहित है और लोगों और राज्य के बीच संबंधों को कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के द्वारा अनिवार्य रूप से शासित होना चाहिए जैसा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांत में समाहित है।

- वे यह भी मानते थे कि विधि के शासन के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामान्य कल्याण सुनिश्चित करने का सर्वोच्च मार्ग लोकतंत्र है।
- हालांकि, नागरिकता के सिद्धांतों पर आधारित लोग और राज्यों के बीच संबंध निश्चित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्वीकरण में वृद्धि के साथ स्थिर नहीं रही है।



प्रारम्भिक परीक्षा विशेष : 2019

समसामयिक घटनाक्रम

एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019

चर्चा में क्यों

- गोवा में 23 से 25 जनवरी, 2019 तक दूसरी विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019 का आयोजन किया गया।
- इस संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया।
- होम्योपैथिक/पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दवा नियामक देशों जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, रूस, ब्राजील, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, मलेशिया, ओमान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल आदि ने इसमें भाग लिया।
- संगोष्ठी के दौरान विनियामक सहयोग, न्यूनतम विनियामक और कानूनी मानकों पर विचार, सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को आगे बढ़ाना, मानकीकरण के लिए नियामक प्रवृत्ति और जटिलता को कम करना, होम्योपैथी को विशिष्ट समग्र चिकित्सा प्रणाली और पशु चिकित्सा होम्योपैथी के रूप में मान्यता देना जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

मुख्य तथ्य :

- होम्योपैथिक औषधीय उत्पादों का विनियमन दुनिया भर में अत्यधिक परिवर्तनशील है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यधिक उन्नत है।
- रोगियों और वैश्विक बाजारों के लिए विनियामक सहयोग और सामंजस्य के संभावित लाभ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अत्यधिक भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण केवल पूर्व राष्ट्रीय सहयोग ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।
- विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के बीच एक दूरी बनी हुई है जिसके कारण सामंजस्य और मानकीकरण को बनाते हुए एक तरफ जटिलता को कम करने की आवश्यकता है तो वहीं दूसरी ओर एक बहुलतावादी नियामक प्रणाली की आवश्यकता है, जो एक समग्र, रोगी-केंद्रित चिकित्सा प्रणाली के रूप में होम्योपैथी की विशिष्टताओं का सम्मान करती हो।
- इस संगोष्ठी के दौरान सहक्रियात्मक आधार पर वैश्विक सहयोग के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गयी साथ ही संभावित लाभों और नुकसान का भी आकलन

किया गया।

- रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा दुनिया भर में होम्योपैथिक उत्पादों की बढ़ती मांग को एक ऐसे उचित नियामक ढांचे के द्वारा रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है जो न सिर्फ राष्ट्रीय संदर्भों का सम्मान करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुभवों और सहयोग से लाभान्वित होते हैं।
- इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रमुख हितधारकों और विचारकों में दुनिया भर के नियामक, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक दवा कंपनियां, विभिन्न देशों के फार्माकोपिया समिति के प्रतिनिधि, संबंधित विशेषज्ञों के साथ वैज्ञानिक विशेषज्ञ और प्रमुख होम्योपैथिक संगठनों के अध्यक्ष शामिल हुए।

अंतरिक्ष में जानवर नहीं रोबोट भेजेगा इसरो

चर्चा में क्यों

- भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तय किया है कि वो कुछ दूसरे देशों की तरह अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए जानवर नहीं रोबोट भेजेगा।
- साल 2021 के अंत तक इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है और उसके पहले की टेस्टिंग प्रक्रिया में 'मानव रोबोट्स' का सहारा लेगा।

मुख्य तथ्य :

- अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने अंतरिक्ष में इंसानों के पहले जानवर भेज कर परीक्षण किया किन्तु इसरो इस तरीके को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है।

इसरो क्यों नहीं भेज रहा जानवर?

- 'मिशन गगनयान' के लॉन्च होने के पहले इसरो की योजना दो परीक्षणों को अंजाम देने की है।
- मिशन गगनयान परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस साल के अंत तक यात्रियों की तलाश पूरी हो जाएगी।
- गगनयान के लिए प्रबंधन और स्पेसफ्लाइट सेंटर बनाया जा चुका है।
- पहला मानवरहित मिशन दिसंबर 2020 तक और दूसरा ऐसा मिशन जुलाई 2021 तक पूरा कर लेने की योजना है। साथ ही भारत की पहली रियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दिसंबर 2021 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।